

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1488 / 2019

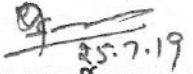
दिनांक 25.07.2019

श्री आयुष गुप्ता (RJ1153), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बयाना (भरतपुर) को दिनांक 13.08.2019 से 16.08.2019 तक 04 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 10.08.2019 से 12.08.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री गुप्ता की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बयाना (भरतपुर) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बयाना (भरतपुर) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

 25.7.19

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/18/2017/ 6988

दिनांक : 25.07.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 5331 दिनांक 18.07.2019 के सन्दर्भ में।
3. श्री आयुष गुप्ता (RJ1153), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बयाना (भरतपुर)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बयाना (भरतपुर)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बयाना (भरतपुर)।

 25.7.2019
सहायक रजिस्ट्रार